National Policy on Zoos

1885. SHRI K. KALAVENKATA RAO:
SHRI ANANTA SETHI:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) Whether Government have evolved a National Policy on Zoos;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the measures proposed to ensure enforcement of mandatory standards and norms for management of zoos?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABU LAL MARANDI): (a) The Cabinet had approved a National Policy on Zoos and copies of the same were laid on the Table of Rajya Sabha and Lok Sabha on 18th December, 1998 and 21st December, 1998, respectively.

(b) The salient features of the policy are as under :—

(i) All zoos shall be managed with the objective of supporting the national efforts on wildlife conservation mainly through *ex-situ* breeding of endangered species and motivating the visitors for living in harmony with nature.

(ii) No new zoo shall be established unless it is essential for strengthening the national conservation efforts and technical support for the operation of the proposed zoo on scientific line is available.

(iii) No zoo shall acquire any wild animals unless it is essential for maintaining the genetic viability of the zoo population.

(iv) The zoos shall provide all animals in their collection, proper housing, upkeep and nutrition based on the natural history of the animal.

(v) The zoos shall ensure availability of highest standards of health care to all the animals in their collection. In this regard, cooperation of universities, colleges and veterinary institutions shall also be taken.

(vi) The zoos shall manage their animal collections according to a scientifically drawn management plan. Appropriate population control measures shall be taken in respect of prolifically breeding species.

(vii) Breeding programme of endangered species for reintroduction purposes in the wild would be taken only with specific approval of the Central/State Government and the Central Zoo Authority.

(viii) The zoos shall not enter into any transaction of animal and animal products with commercial organisations.

(ix) A formal education programme should be perused by the zoos for strengthening the education meassage.

(x) No zoo shalls allow within its campus any recreation/entertainment infrastructure which is inconsistent with the objectives of the zoo management or which compromises with the security/health requirement of the zoo animals.

(c) Enforcement of mandatory standards and norms for management of zoos are ensured by the Central Zoo Authority. The zoos which do not abide by the provisions of the Act and the rules made thereunder are refused recognition and asked to close down.

बाघों की हत्याएं

1886. प्रो० रामगोपाल यादव:
श्री ईश दत्त यादव:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में बाघों की हत्याएं की जाती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन्हें तस्करी के माध्यम से चीन तथा अन्य देशों को भेजा जाता है;

(ग) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितने बाघों को मारा जाता है;

(घ) क्या सरकार बाघों की हत्याएं रोकने, इनकी तस्करी एवं हत्याओं में लिप्त लोगों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और समयावधि क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) यह सच है कि बाघ के अंगों के विदेशों में अवैध व्यापार के लिए बाघों का अवैध रूप से शिकार करने संबंधी घटनाएं सरकार के नोटिस में आई हैं।

(ग) राज्यों द्वारा पता लगाए गए और रिपोर्ट किए गए विवरण के अनुसार बाघों के अवैध शिकार संबंधी संख्या निम्नलिखित है:—

वर्ष	91	92	93	94	95	96	97	98
अवैध शिकार के मामले	7	8	17	18	5	6	4	6

(घ) और (ङ) जी, हां। अवैध रूप से शिकार करने वालों तथा तस्करों के विरुद्ध वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम के तहत मुकद्मा चलाया जाता है, जिसमें 1 से 6 साल तक की सजा तथा कम से कम 5000 रु० तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, बाघों के अवैध शिकार तथा इसके शरीर के अंगों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं, जो संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बाघों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

राष्ट्रीय स्तर

बाघों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. अनाधिक शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रण करने हेतु सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा पुलिस बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, तटरक्षक, राज्य पुलिस, उप-निदेशक, वन्यजीव संरक्षण और वैज्ञानिक संगठन जैसे भारतीय प्राणी विज्ञान और वानस्पतिक सर्वेक्षण जैसी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया गया है।

2. वन्य जीव उत्पादों के व्यापार और तस्करी के नियंत्रण में उपर्युक्त विभागों को सुग्राही बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन करना।

3. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के प्रयासों में बेहतर समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए सचिव (पर्यावरण एवं वन), विशेष सचिव (गृह), निदेशक (सी०बी०आई०) और अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के प्रतिनिधि सहित एक विशेष समिति का सृजन किया गया है।

4. सशस्त्र दस्तों, वाहनों, संचार नेटवर्क सहित सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने तथा उद्यान प्रबंधकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

5. संसूचन और रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्ट निष्पत्ति और बहादुरी के कार्यों के लिए पुरस्कार और पारितोषिक देने की योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं।

6. राज्य सरकारों को निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा गश्त को बढ़ाने के सुझाव दिए गए हैं।

7. भारत सरकार को वन्यजीव संरक्षण में किए गए प्रयासों में समर्थन के वास्ते गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य को शामिल करने के लिए जन-जागरूकता कार्यक्रम प्रारम्भ करना।

8. संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों में बाघ व्यापार मार्ग खोजने तथा बाघ के हिस्सों और उत्पादों के लिए अदालती पहचान, संदर्भ नियम-पुस्तिका बनाने हेतु समर्थन कार्यक्रम।

9. राज्य सरकारों को क्षेत्रों के पारि-विकास के लिए जैविक दबाव कम करने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है।

10. बाघ परियोजना क्षेत्रों में स्थल-विशिष्ट स्पेशल फोर्स।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर:

1. बाघ संरक्षण से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को उठाने के लिए बाघ रेंज देशों अर्थात "ग्लोबल टाइगर फोरम" के लिए एक मंच के सृजन का मामला उठाना।

2. बाह्य सीमा व्यापार के नियन्त्रण तथा बाघ संरक्षण में प्रभावी परस्पर सहयोग:—

1. चीन गणराज्य के साथ एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2. नेपाल सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
3. बंगलादेश के साथ बातचीत शुरू की गई है।

3. बाघ के अंगों तथा उनके उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने हेतु, भारत की पहल पर साइटस (सी०आई०टी०ई०एस०) में कई प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं।

Threat to Katarnighat Wildlife Sanctuary by Central Seed Farm

1887. SHRI RAJNATH SINGH "SURYA": Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central seed farm occupies large part of land around Katarnighat Wildlife Sanctuary;

(b) whether it is posing threat to wildlife of the Sanctuary;

(c) if so, whether Government propose to take preventive action in this regard; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABU LAL MARANDI): (a) to (d) The information is being collected from the State Govt. and will be laid on the Table of the House.

Social Forestry Projects in Gujarat

1888. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some social forestry projects/schemes are being implemented in Gujarat with foreign aid;

(b) if so, the details thereof;

(c) the amount of foreign aid received for those projects/schemes; and

(d) the details of work undertaken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABU LAL MARANDI): (a) and (b) A forestry project titled "Integrated Forestry Development Project" is under implementation in Gujarat with assistance from Overseas Economic Cooperation Fund (OECF), Japan. The project costing Rs. 608 cr. started during 1995-96 and would continue till 31.3.2001. The project envisages covering an area of 2,30,.000 ha. through afforestation activities.

(c) An aid amount of 15760 million yen has been approved for this project.

(d) An area of 1,33,168 ha. has been afforested under the project till 31st December, 1998.

वनों की कटाई के बदले में वृक्षारोपण

1889. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान वनों की कटाई के बदले में वृक्षारोपण की संख्या का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि में अधिकारिक रूप से कुल कितने वन क्षेत्र की कटाई की गई है; और

(ग) वनों की कटाई के स्थान पर वृक्षारोपण की वास्तविक स्थिति और सफलता के लिए कराई गई विशेष लेखा परीक्षक का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान 1,05,771 हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रतिपूरक वनीकरण किया गया। राज्यवर और वर्षवार ब्यौरा "विवरण " में संलग्न है। (नीचे देखिए)